

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अंशक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-4964/औ०सं०/पाकालि/०६/११ (११)एफ/८६ टी०सी०

दिनांक-01.12.06

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रतिनियामन विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1815-औ०सं०-17/पाकालि/2002/११ (११)एफ/८६ टी०सी०, दिनांक 20.05.02 में आंशिक रूप से सशोधन करते हुए कारपोरेशन, (मुख्यालय) में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान करने हेतु एतद्वारा महाप्रबन्धक/मुख्य महाप्रबन्धक (का०प्र०-प्रथम), महाप्रबन्धक (का०प्र०-द्वितीय) एवं केन्द्रीय लेखा कार्यालय पावर कारपोरेशन लि० में तैनात महाप्रबन्धक/मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) को रू० 50,000/(रुपये पचास हजार) तक के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के मामलों में स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार प्रदत्त किये जाते हैं।

कारपोरेशन के संदर्भगत कार्यालय ज्ञाप सं० 1815-औ०सं०-17/पाकालि/०२ दिनांक 20.05.02 के अन्य सभी प्राविधान यथावत प्रभावी होंगे।

अध्याक्ष,

संख्या-4964/औ०सं०/०६/पाकालि/०६/११ (११)एफ/८६ टी०सी०, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-प्रमुख सचिव, ऊर्जा उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2-अध्यक्ष महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 3-प्रबन्ध निदेशक महोदय के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 4-निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 5-महाप्रबन्धक (का०प्र०-प्रथम)/महाप्रबन्धक (का०प्र०-द्वितीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6-महाप्रबन्धक (लेखा प्रशा०)/केन्द्रीय लेखा कार्यालय, लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7-उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशा०) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्पादन निदेशक शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9-कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अधिकारी/निजी सचिव/अनुभाग अधिकारी प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 10-कॉट फाइल।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)